कार्यालय उप खण्ड अधिकारी,जैसलमेर

क्रमांक:राजस्व/98/491 दिनांक:- 19.8.98

आदेश

राज्य सरकार के राजस्व(ग्रुप-8) विभाग,राजस्थान जयपुर के द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ. 3(1)(73)रेवन्यु/8/73 दिनांक 4 अगस्त 1980 के द्वारा जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय मरू अभ्यावरण के स्थापना हेतु अधिसूचना वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18(1) के तहत जारी की गई। उक्त अधिसूचना के अनुसरण में उक्त अधिनियम की धारा 21 के तहत जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा उनके कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक राजस्व/80/3934 दिनांक 15.11.80 के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी इस विज्ञप्ति में दर्शित सीमाओं में घोषित अभ्यावरण (सेन्चुरी) में स्थित भूमि के संबंध में यदि कोई व्यक्ति अपना अधिकार रखता है तो वह अपनी लिखित उजरदारी निर्धारित प्रपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि के भीतर जिला कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त विज्ञप्ति का प्रचार-प्रसार जिला कार्यालय द्वारा करवाया गया। उक्त विज्ञप्ति में अधिसूचित/घोषित क्षेत्र में तहसील जैसलमेर एवम फतेहगढ के राजस्व ग्राम क्रमशः 28 व 6 कुल 34 ग्राम आये हुवे है जिनका क्षेत्रफल लगभग 1960 वर्ग किलोमीटर है। उक्त क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामवासियों जनप्रतिनिधियों अथवा विभागों द्वारा उक्त क्षेत्र में अपने अधिकारों के संबंध में अधिसूचना/विज्ञप्ति के जारी होने से निर्धारित दो माह की समयावधि में किसी प्रकार की उजरादारी निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त विज्ञप्ति के द्वारा अभ्यारण हेतु अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं के अनुरूप ही राज्य सरकार के राज्य (ग्रुप-8) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 3(1)(73)राजस्व/ग्रुप-8/73 दिनांक 8.5.81 के द्वारा मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं को अधिसूचित किया गया एवं उक्त अधिसूचना के अनुसरण में जिलाधीश कार्यालय,जैसलमेर के द्वारा घोषणा दिनांक 8.9.81 को जारी की जाकर अधिनियम 1972 की धारा 19 में वर्णित अधिकारों के संबंध में निर्धारित प्रपत्र संख्या 9 में दावे आमंत्रित किये गये जिसके सन्दर्भ में कुल 399 क्लेम उक्त क्षेत्र के ग्रामवसीयों द्वारा प्रस्तुत किये गये जिसके संबंध में पृथाम से कार्यवाही की जा रही है। राष्ट्रीय मरू उद्यान का क्षेत्र तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा विधान सभा में दिये गये आश्वासन के मुताबिक 1/10 किया जाकर लगभग 300 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में उद्यान की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। उक्त क्षेत्र में कुल 9 राजस्व ग्राम आते है जिसमें से ग्राम निम्बा,गांगा,बीरा मेहबुब का पार एवं मतुओं की बस्ती का सम्पर्क क्षेत्र,ग्राम कनोई का अर्द्ध क्षेत्र एवं ग्राम सगरों की बस्ती,सम एवं जामडा का आंशिक क्षेत्र आया हुआ है। अधिनियम 1972 के तहत उद्यान में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही अपेक्षत है जिसके संबंध में पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

राज्य सरकार के वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11(54) फोरेस्ट 97 दिनांक 10.2.98 के द्वारा निम्न पदाधिकारी को राजस्थान वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 19 से 25 तक की शक्तियां एवं कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया है इस मामले में उक्त अधिनियम की धारा 19 के तहत अभ्यारण क्षेत्र में पडने वाली भूमि में व्यक्तियों के अधिकारो का अस्तित्व,प्रकृति एवं विस्तार के संबंध में जांच की जाकर उनको निर्धारण करने की कार्यवाही अपेक्षत है। चूंकि सन्चुरी क्षेत्र के संबंध में जिलाधीश कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के सन्दर्भ में कोई आपत्तियां ग्रामवासियों आदि के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है ऐसी स्थिति में धारा 19 के तहत उक्त क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामवासियों को भूमि संबंधी अधिकारों के निर्धारण हेतु तहसीलदार जैसलमेर एवं फतेहगढ से एवं इस क्षेत्र में वन एवं खनिज सम्पदा के के संबंध में अधिकारियों को अपना पक्षप्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के संबंध में तहसीलदार,जैसलमेर एवं फतेहगढ के प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सेन्चुरी क्षेत्र में आने वाले गांव एवं उनमें स्थित खातेदारी/गैर खातेदारी/आबादी भूमि/गोचर एवं सार्वजनिक भूमियों का विवरण प्राप्त हुआ जो कि परिशिष्ट "ए" पर है। किन्तु तहसीलदार,जैसलमेर व फतेहगढ जो की भूमिधारी

......2/

उनके द्वारा अभ्यारण क्षेत्र में पडने वाली भूमि में व्यक्तियों के अधिकारों,प्रकृति एवं विस्तार के बारे में जानकारी बावजूद निरन्तर पत्र व्यवहार एवं व्यक्तिगत रूप से कहने के उपलब्ध नहीं करवाई गई [illegible] अत्यन्त ही गंभीर है तथा इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त क्षेत्र में ग्रामवासियों के भूमि संबंधी अधिकारों के निर्धारण की कार्यवाही दिनांक 22.8.98 से पूर्व की जाना अपेक्षित होने से मेरे द्वारा इस संबंध में प्रचलित राजस्व कानूनों एवं उक्त गांवो में भू प्रबंध की कार्यवाही के दौरान भू प्रबंध विभाग द्वारा तैयार किये गये दस्तूर गांवाई का मेरे द्वारा अध्ययन किया गया। जैसलमेर जिले की विषम भौगोलिक परिस्थितियां है एवं इस क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणों की आजिविका मुख्य रूप से कृषि एवं पशुपालन पर ही निर्भर है। ऐसी स्थिति में ग्रामवासियों की उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखवाते हुए उक्त क्षेत्र में निवास करने वाले [illegible],काश्तकारों के निम्नांकित अधिकार जो कि उन्हें परम्परागत रूप से प्राप्त है एवं विभिन्न राजस्व कानूनों के तहत संवेधानिक रूप से प्रदत्त किये हुवे है उनका निर्धारण/विनिश्चय निम्न प्रकार से लेखबद्ध किया जाता है।

(1) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत काश्तकारों को प्रदत्त अधिकारों/सुखाचारो का उपयोग एवं उपभोग उनके द्वारा नियमानुसार यथावत किया जाता रहेगा।

(2) वन्य जीवी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 20 के तहत उक्त क्षेत्र में स्थित भूमि में या उस पर नये अधिकारों के उत्पन्न होने पर रोक है। किन्तु इस मामले में जैसा की उपर उल्लेखित किया जा चुका है इस क्षेत्र के निवासियों की आजिविका मुख्य रूप से कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है तथा इस क्षेत्र में गैरखातेदारों की 10,900.08 बीघा भूमि स्थित है एवं उक्त भूमि काश्तकारों को कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन किये हुवे 10 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है व खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो चुके है तथा उक्त अधिकारों के अभाव में यह अन्य ऋण आदि की सुविधायें प्राप्त करने से वंचित है ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में आये हुवे गैर खातेदार जिनके द्वारा आंवटन आदेश के शर्तो का पालन किया गया है एवं वह खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये है उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के स्तर से उचित निर्णय करवाया जाना प्रस्तावित है।

(3) निजी कृषि भूमि पर ग्रामवासियों तथा पंचायतों को प्राप्त सार्वजनिक तथा उसमें निजी अधिकारों/सुखाचारों (casement-Right) को उपयोग/उपभोग करने,विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(4) अभ्यारण की उद्घोषणा के पूर्व बनाये गये एवं वर्तमान में स्थित सार्वजनिक रास्तो,सार्वजनिक भूमियों तथा गोचर,ओरण आदि जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है का उपयोग करने का ग्रामवासियों को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र अधिकार होगा।

(5) उक्त क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों पर पूजा/अर्चना/इबादत करने का उक्त क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामवासियों तथा बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों को पूर्ण अधिकार यथावत रहेगा।

(6) उक्त क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक कुवे,तालाब,नाडी,नदियां व पार में ग्रामवासियों को पानी पीने एवं पशुओं को पानी पिलाने के अधिकार यथावत रहेगें।

(7) उक्त क्षेत्र में कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाने का ग्रामवासियों को पूर्ण अधिकार रहेगा किन्तु आवासीय भिन्न प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाने से पूर्व वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

257

(8) उक्त क्षेत्र में आई हुई राजकीय भूमियों के व्यवसायिक, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रकृति के कार्य हेतु आवंटन से पूर्व वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(9) उक्त क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामवासियों को अपने निजी उपयोग हेतु इस क्षेत्र में उपलब्ध खनिज सम्पदा का उपयोग उपभोग खनिज विभाग की स्वीकृति से करने का पूर्ण अधिकार होगा किन्तु खनन प्रक्रिया में बारूद/विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया जावेगा एवं न ही इस प्रकार का कोई कार्य किया जावेगा जिसके फलस्वरूप अभ्यारण की स्थापना के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

(10) उक्त क्षेत्र के निवासियों को अभ्यारण क्षेत्र में अपनी पशुधन को रखने एवं उसे चारागाह (गोचर) क्षेत्र में चराई कराने का पूर्ण अधिकार यथावत रहेगा।

(11) अभ्यारण क्षेत्र में अधिक्षण खनि अभियन्ता एवं भू विज्ञान विभाग जैसलमेर के प्रतिवेदन के अनुसार लाईम स्टोन के विपुल भंडार है एवं उक्त खनिज का दोहन किया जाना राजकीय हित में है किन्तु उक्त क्षेत्र अभ्यारण एवं नेशनल पार्क हेतु घोषित क्षेत्र में आया हुआ है जिसके संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर उपयुक्त निर्णय करवाया जाना उचित होगा।

(12) अभ्यारण क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों में वर्तमान में अभिलेखित सार्वजनिक उपयोग की भूमियां यथा गैरमुमकिन आबादी, गैरमुमकिन शमशान, गैर मुमकिन कब्रिस्तान, गैर मुमकिन ओरण आदि का उपयोग ग्रामवासियों द्वारा वर्तमान में प्रचलित नियमों के तहत यथावत किया जाता रहेगा तथा भविष्य में भी उक्त भूमियों के क्षेत्र का विस्तार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार करवाने के वह अधिकारी रहेंगें।

(13) अभ्यारण्य क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के तहत घोषित क्षेत्र एवं परियोजना के लिये प्रस्तावित क्षेत्र में राज्य सरकार की उपनिवेशन विभाग की स्वीकृति कार्ययोजना के अनुसार भूमि आंवटन आवासीय कालोनी नहर निर्माण, पक्तियों आदि का निर्माण कार्य किया जावेगा।

उक्त अधिकारों का विनिश्चय वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 19 के द्वारा एतद्द्वारा किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
(प्राधिकृत अधिकारी)
जैसलमेर

258

क्रमांक: राजस्व/98/492-541 दिनांक:- 19.8.98

प्रतिलिपि:

1. मुख्य वन्य संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर
2. शासन सचिव, वन राजस्व विभाग, राज. जयपुर
3. उप शासन सचिव, उपनिवेशन विभाग, राज. जयपुर
4. आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर
5. जिला कलेक्टर महोदय, जैसलमेर/ बाड़मेर
6. उपनिदेशक, डी. एन. पी. जैसलमेर
7. उप वन संरक्षक, जैसलमेर
8. अधीक्षण अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान, जैसलमेर
9. तहसीलदार जैसलमेर/फतेहगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति इस क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय के सार्वजनिक स्थल पर चस्पा की जावे एवं राजस्व अभिलेखों में रखी जावे।
9. सरपंच, ग्राम पंचायत -----------------------

उप खण्ड अधिकारी
(प्राधिकृत अधिकारी)
जैसलमेर

अभ्यारण क्षेत्र में आने वाली भूमियो का विवरण एवं अन्य विवरण (बीघों में)

स0	नाम ग्राम	जनसंख्या (1991)	पशु संख्या (नवीनतम)	कुल भूमि	खातेदारी भूमि	गैरखातेदारी भूमि	आबादी भूमि	विभागीय भूमि	गोचर भूमि	अन्य भूमि
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कोरिया	176	1716	16766.09	–	786.06	60.15	–	779.06	15140.02
	फल्हेड़ी	1094	7317	27669.15	214.08	811.11	224.04	–	774.00	25645.12
	दबड़ी	841	7818	12070.08	97.06	797.02	6.06	–	170.13	10999.01
	हटार	559	8484	33702.17	2470.12	4762.04	39.11	–	1251.19	25178.11
	दव	570	4695	61519.04	1087.07	210.00	60.05	–	1795.05	58366.07
	बैरिसयाला	635	16356	70048.18	19495.18	98.05	145.06	347.14	3022.14	46939.01
	काठा	214	5729	30652.11	2500.02	–	13.06	–	1562.07	26576.16
	खारिया	23	8530	66894.17	3869.15	–	67.02	–	979.05	81978.15
	धाणोली	466	9467	39476.05	3523.04	–	116.05	–	2343.15	33493.01
	खुहड़ी	1092	3604	32815.14	4418.09	–	518.12	204.12	4118.12	23555.09
	धोबा	819	5399	55721.19	6829.02	–	210.02	–	3501.00	45181.15
	बरणा	271	6317	54860.02	8053.10	–	100.01	137.80	1086.13	45482.18
	तेजसी	232	2508	8375.11	1845.01	–	80.02	–	762.19	5687.09
	मायेरी	77	3147	37410.00	3980.07	–	115.07	200.00	–	33114.06
	कुम्भार कोठा	247	2500	11793.03	3305.14	–	63.17	–	408.15	8014.17
	सिपला	485	3038	9966.14	1080.14	–	–	–	813.17	8072.08
	धुलिया	369	2065	25863.07	3339.04	606.05	247.18	–	1216.03	20453.17
	म्याजलार	2025	12052	2668.16	–	1857.10	50.00	761.06	–	–
	रहूं का पार	778	4288	2609.02	75.00	63.00	–	2471.02	–	–
	सम	1125	1500	7726.00	1084.00	305.00	–	485.00	–	5852.00
	सगरो की ढ़ाणी	732	3500	3676.00	702.00	186.00	–	–	465.00	2363.00
	मतुओं की ढ़ाणी	145	150	15672.00	1355.00	84.00	–	378.00	–	13855.00
	गांगा	295	1200	37048.00	1681.00	1451.00	39.00	–	469.00	33408.00
	कनोई	1371	1653	8003.13	504.16	256.15	–	4782.09	2422.14	36.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 25	निम्बा	631	4729	32768.13	3700.13	2336.07	64.03	1.10	1868.00	24798.0
26	मेहबुब का पार	63	556	16896.10	217.15	580.19	31.09	–	443.08	15622.1
27	जामड़ा	186	2437	25237.17	479.10	114.16	–	3533.10	515.02	20594.1
28	बीदा	365	580	43994.16	3218.15	622.17	133.15	–	1543.00	38475.1
29	सतो	1844	17882	155285.00	13571.00	2234.00	315.00	371.00	5129.00	133665.0
30	फुलिया	461	12032	50195.00	5070.00	1201.00	176.00	361.00	1523.00	41864.0
31	तेजरावा	423	6526	42777.00	3411.00	–	113.00	–	2157.00	37096.0
32	आंटिया	84	1124	21966.00	3622.00	–	–	–	326.00	18018.0
33	सिह्ड़ार	851	10370	9188.00	6107.00	–	102.00	–	2205.00	774.00
34	बम्भारा	679	6500	13231.00	2071.05	–	422.05	–	212.05	10524.05
	योग	19107	191178	1104550.02	112991.07	19324.16	3505.11	14034.03	43866.07	910828.02

उपखण्ड अधिकारी,
जैसलमेर

26